

भारत सरकार
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय

वेज़ नम्बर 24-25
दक्षिण मार्ग, रोड नं. 31 ए
चण्डीगढ़-160030
दिनांक 03.02.2010

संकेत नम्बर 9-HPC025/2010-CHA/1677

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),
हिमाचल प्रदेश सरकार, वन विभाग,
सिधिल सचिवालय,
शिमला ।

Diversion of 9.2123 hectare of forest land in favour of Municipal Corporation Shimla for the construction of Land Fill Site for Solid Waste Management Project at Taradevi in Shimla, within the jurisdiction of Forest Division & Distt. Shimla, Himachal Pradesh.

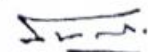
कृपया उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित आपने पत्र संख्या FFE-B-F (2)-3/2010 दिनांक 12.01.2010 और
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन) एवं मुख्य वन संरक्षक (FCA) के पत्र संख्या Ft. 48-1962/2010 (FCA) दिनांक 23.01.2010 का अवलोकन
इस विषय में (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा- 2 के अधीन केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी गई है।

राज्य सरकार के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उपर्युक्त उद्देश्य हेतु 9.2123 हेक्टेयर वन
के उपयोग के लिए सक्षम अधिकारी की सैधान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान की जाती है:-

1. प्रयोज्य एजेंसी से स्कीम अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए।
2. माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण एवं वन
मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-1/98-FC (Part-II) दिनांक 11.08.2003 के
अनुसार प्रयोज्य एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि का नेट प्रजैट वैल्यू जमा करवाई जाये।
3. भारत सरकार पत्र संख्या 5-2/2006-FC दिनांक 20.05.2006 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार NPV
तथा दूसरी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकार के तदर्थ निकाय के लेखा
संख्या CA-1595, कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकरण), ब्लाक-11 भूतल सी.जी.ओ. काम्प्लेक्स,
फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003 या लेखा संख्या 344901010070128 भारतीय युनियन बैंक,
सुंदरनगर, नई दिल्ली में जमा कराया जाये और इस कार्यालय को सूचित किया जाये।

उपर्युक्त शर्तों की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए ताकि आगे की कार्यवाई की जा सके। केन्द्रीय सरकार
अन्तिम अनुमति दिये जाने तक कार्य शुरू नहीं किया जाना चाहिये।

भवदीय



(श्री कृष्ण सहस्रथत)

वन संरक्षक (केन्द्रीय)

4

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हिमाचल प्रदेश सरकार, वन विभाग, टालैंड, शिमला।
2. अपर वन महानिदेशक (FC), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी जी ओ काम्प्लेक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली
3. Divisional Forest Officer, Forest Division & Distt. Shimla, Himachal Pradesh.
4. Commissioner, Municipal Corporation, Shimla, Himachal Pradesh.
5. गाट फाईल।


Executive Engineer
Roads & Buildings
Dept., M.C. Shimla